प्ररूप 4-ग [नियम 24 देखें]

[त्यागपत्र या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाये जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं
भारत सरकार
मंत्रालय
विभाग/कार्यालय
तारीख
सेवा ,
वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार
(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)
विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी(पीआरएएन) के त्यागपत्र देने या शास्ति स्वरूप अनिवार्य
सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाये जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।
महोदय,
मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि
* इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी
पदनाम),पीआरएएन पर तारीखके आदेश सं (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा
शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति अधिरोपित की गई है। तदनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी को
तारीख से सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है।
या
* इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी(नाम और पदनाम,
पीआरएएनके आदेश सं(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा
पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। तदनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी को
तारीख सेसरकारी सेवा से पदच्युत/सेवा से हटाया जाता है।
या
 इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और
पदनाम),पीआरएएनने तारीखको सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र स्वीकृत
किए जाने की तारीख के आदेश सं की प्रति संलग्न है।
2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 17 या नियम 14 के संदर्भ में, अभिदाता, पेंशन
निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य फायदों का पात्र है।
3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दावा संबंधी दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप के प्रिंटआउट) संलग्न हैं:
1.
2.
3.
4.
्म. 4. यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और
प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में
यथास्वीकार्य सेवांत फायदों को जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर कार्रवाई की जा सकेगी।

* लागू नहीं होने पर काट दें।

WWw.staffnews.ln

कार्यालय अध्यक्ष

FORM 4- C

[See rule 24]

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a Subscriber under the National Pension System on resignation or compulsory retirement as a measure of penalty or dismissal or removal from service!

service]
No
Government of India
Ministry / Department/Office of
Dated the
То,
The Pay and Accounts Officer/Accountant-General
(Through - the Drawing and Disbursing Officer).
Sub: Processing of claim for benefits under the National Pension System on resignation or compulsory retirement as a measure of penalty or dismissal or removal from service of Shri /Smt. /Km
Sir, I am directed to say that:
* A penalty of compulsory retirement has been imposed on Shri/Smt./Km
OR
* A penalty of dismissal or removal from service has been imposed on Shri/Smt./Km(name and designation), PRAN of this Ministry or Department or office vide Order No
OR
* Shri/Smt./Km(name and designation), PRAN of this Ministry or Department or office has resigned from Government service with effect from A copy of the Order No
2. In terms of rule 17 or rule 14 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, the Subscriber is eligible for benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber before superannuation.
3. The following claim papers (in physical form or print-out of forms submitted online) prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System are enclosed:
1.
2.
3.
4.
4. It is requested that the case of the Subscriber for release of terminal benefits under the National Pension System may be processed in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber before superannuation.

Yours faithfully,

Head of Office

^{*} Strike out if not applicable.